# झारखण्ड विधान-सभा

# झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2007
## [सभा द्वारा यथापारित]

---

## विषय सूची


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
2. अधिनियम 05, 2006 की प्रस्तावना में संशोधन
3. अधिनियम 05, 2006 की धारा 2 में संशोधन
4. अधिनियम 05, 2006 की धारा 8 में संशोधन
5. अधिनियम 05, 2006 की धारा 9 में उपधारा (3) का प्रतिस्थापन
6. अधिनियम 05, 2006 की धारा 11 में नई उपधाराओं (4), (5), (6) एवं (7) का अंतःस्थापन
7. अधिनियम 05, 2006 की धारा 13 में संशोधन
8. अधिनियम 05, 2006 की धारा 22 में संशोधन
9. अधिनियम 05, 2006 की धारा 29 में संशोधन
10. अधिनियम 05, 2006 की धारा 30 में संशोधन
11. अधिनियम 05, 2006 की धारा 40 में संशोधन
12. अधिनियम 05, 2006 की धारा 57 में संशोधन
13. अधिनियम 05, 2006 की धारा 63 में संशोधन
14. अधिनियम 05, 2006 की धारा 69 में संशोधन

# झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक 2007

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन करने के लिए विधेयक

**भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ – (1) यह अधिनियम झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम 2007 कहलाएगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
(3) यह दिनांक 01.04.2006 के प्रभाव से प्रवृत्त माना जाएगा।

2. अधिनियम 05, 2006 की प्रस्तावना में संशोधन। –

अधिनियम की प्रस्तावना में, शब्द "झारखण्ड राज्य में" के पश्चात शब्द 'राज्य के व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास के उद्देश्य से कोष संग्रह करने हेतु' जोड़ा जाएगा।

3.(i) अधिनियम 05, 2006 की धारा 2 का संशोधन। – विद्यमान परिभाषा "ई.एच.टी.पी. "के बाद तथा "माल" की परिभाषा के पूर्व एक नयी परिभाषा "कोष" का धारा 2 की कंडिका (xxiA) के रूप में अन्तःस्थापन।

"(xxiA) 'कोष' का अभिप्राय है, राज्य के व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास के उद्देश्य हेतु, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु किसी अवधि विशेष हेतु सृजित 'झारखण्ड व्यापार विकास कोष'"

(ii) धारा 2 की कंडिका (xxxii) में विनिर्माण की परिभाषा में संशोधन –
शब्द "वस्तु" के पश्चात शब्द "या वस्तुएँ या माल" अन्तःस्थापित किया जाएगा।

4. अधिनियम 05, 2006 की धारा 8 में संशोधन। –

विद्यमान उपधारा (7) के बाद उपधारा (8), (9), (10), (11), (12) एवं (13) के रूप में नई उपधारा का निम्नवत् अंतःस्थापन :–

" (8) एक निबंधित व्यवसायीः जिसका इस अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने का दायित्व, अपना कारोबार अन्य व्यक्तियों को पूर्णतः अन्तरित कर दिए जाने से अन्यथा किसी कारण से, समाप्त हो गया हो, अपने कर दायित्व के समाप्त होने पर बचे हुए मालों के भंडार पर, विहित घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने के उपरांत, कर का भुगतान करेगा।"

" (9) प्रत्येक व्यवसायी जिसकी कर देयता उपधारा (8) के अधीन अथवा अन्यथा समाप्त हो गई हो, उस तिथि के अगली तिथि से पुनः इस धारा के अन्तर्गत कर का भुगतान करने का दायी हो जाएगा जिस तिथि के ठीक पहले के बारह महीनों से अनधिक अवधि में उसका सकल आवर्त्त इस धारा में विहित सीमा से पुनः अधिक हो जाता है।"

" (10) इस धारा के अन्तर्गत कुछ अन्तर्विष्ट होते हुए भी यदि कोई व्यवसायी, जो कर का भुगतान करने का दायी हो अथवा छः माह से कम की अवधि के पूर्व दायी रहा हो, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ एक नया व्यवसाय प्रारंभ करता है या किसी अन्य व्यवसाय या भागीदारी फर्म या समुत्थान या अविभाजित हिन्दु परिवार में सम्मिलित होता है तो, जबतक कि उक्त व्यवसाय अथवा भागीदारी फर्म या समुत्थान की कर देयता इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्व की तिथि से ही प्रारंभ न हो गई हो, तो व्यवसायी को उसे प्रारंभ करने अथवा उसमें शामिल होने की तिथि से ही उक्त व्यवसाय या भागीदारी फर्म या समुत्थान के द्वारा किए गए बिक्री या खरीद पर कर, यथा पूर्वोक्त, भुगतेय होगा। "

" (11) इस धारा के अन्तर्गत कुछ अन्तर्विष्ट होते हुए भी, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (1956 का LXXIV) के अधीन निबंधित व्यवसायी, उसके सकल बिक्रय आवर्त्त की राशि को विचार में लाए बिना, अपने द्वारा झारखण्ड राज्य में वैसी वस्तुओं, जिसे वह उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) अथवा धारा 6A की उपधारा (1) के अन्तर्गत घोषणा पत्र दे कर खरीद अथवा अर्जित किया हो या जिनके विनिर्माण या प्रसंस्करण में उक्त तरीके से खरीदे गए माल व्यवहृत हुए हों, की बिक्री पर कर के भुगतान का दायी होगा। "

" परन्तु यह कि यदि व्यवसायी विहित पदाधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह प्रदर्शित कर देता है कि करदेय आवर्त्त के निर्धारण करने के प्रयोजन में उक्त बिक्रय आवर्त्त धारा 9 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उसके सकल आवर्त्त से घटाने योग्य है, कर भुगतेय नहीं होगा।"

"(12) इसके निर्धारण में कि कब किसी बिक्री अथवा खरीद को झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत किया गया समझा जाएगा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (1956 का LXXIV) के प्रावधान लागू होंगे।"

"(13) इस अधिनियम में कुछ भी अन्तर्विष्ट होते हुए भी आयुक्त या इस हेतु प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी वर्ष में भुगतेय कर का आकलन एवं संग्रहण, वैसी किस्तों में जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, किसी वर्ष के अन्तर्गत अग्रिम रूप से भी किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी व्यवसायी से उक्त वर्ष के अपने करदेय आवर्त्त का एक अग्रिम आकलन दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है एवं व्यवसायी के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए भुगतेय कर की राशि का औपबंधिक रूप से निर्धारण कर सकता हैं तदुपरि वैसी तिथि तक जैसा कि उक्त प्राधिकारी द्वारा नियत किया गया हो, उक्त निर्धारित राशि का भुगतान कर देगा।"

5. अधिनियम 05, 2006 की धारा 9 में संशोधन। –

उपधारा (2) में पद "(बल्क ड्रग्स)" के बाद एवं शब्द "सिद्ध" के पूर्व का पद " एण्ड नन ड्रग्स (प्राइस कन्ट्रोल) ऑर्डर 1995 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दवाओं यथा आयुर्वेदिक" विलोपित किया जाएगा।

उपधारा (3) का निम्नवत प्रतिस्थापन :–

" (3) धारा 8 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने का दायी व्यवसायी के द्वारा इस अधिनियम के परिशिष्ट II के भाग –E में वर्णित वस्तुओं की बिक्री पर भुगतेय कर राज्य में बिक्री के प्रथम प्रक्रम पर या बिक्रियों की श्रृंखला में बिक्री के उस प्रक्रम पर वैसे बंधेजों एवं शर्त्तों के साथ जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से

समय समय पर इस हेतु विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिरोपित किया जाएगा। वैसी परिस्थिति में जब व्यवसायी के द्वारा राज्य में बिक्री के प्रथम प्रक्रम पर कर अधिरोपित किया जाता हो, बाद के प्रक्रमों में उन्हीं वस्तुओं के राज्यान्तर्गत बिक्रियों पर कर का अधिरोपण नहीं किया जाएगा यदि उन वस्तुओं के राज्यान्तर्गत बिक्रियों पर कर का अधिरोपण नहीं किया जाएगा यदि उन वस्तुओं की उत्तरावर्त्ती बिक्री करने वाला व्यवसायी विहित प्राधिकारी के समक्ष वैसे साक्ष्य/साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है जैसा कि विहित किया जाए।

परन्तु जहाँ परिशिष्ट II के भाग–E में विनिर्दिष्ट किन्हीं वस्तुओं के संबंध में इस उपधारा के अधीन प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया हो कि कर का अधिरोपण बिक्री के एक से अधिक प्रक्रमों अथवा सभी प्रक्रमों पर किया जाएगा, बिक्री के पूर्ववर्त्ती प्रत्येक प्रक्रम पर भुगतान किए गए कर/करों की राशि को बिक्री की प्रत्येक उत्तरवर्त्ती चरण में भुगतेय कर की राशि के विरूद्ध अधिसूचना में विहित रीति से समायोजित कर लिया जाएगा।

6. अधिनियम 05, 2006 की धारा 11 में संशोधन। –

उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में " धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत " के स्थान पर " धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत" प्रतिस्थापन किया जाएगा।

विद्यमान उपधारा (3) के उपरांत नई उपधाराओं (4), (5), (6) एवं (7) का अंतःस्थापन –

" (4) इस धारा के अन्तर्गत अधिरोपित एवं उद्ग्रहित प्रवेश कर को धारा 2 के खण्ड (XXIA) के अन्तर्गत सृजित "कोष" में विनियोजित किया जाएगा।"

" (5) उपधारा (1) के अधीन भुगतेय कर उस समय तक अधिरोपित किया जाता रहेगा जबतक राज्य के अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग हेतु बेहतर बाजार परिस्थितियाँ मुहैया कराने तथा इसे राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने के दृष्टिकोण से राज्य में बिजली, सड़क, बाजार की परिस्थिति इत्यादि जैसी आधारभूत संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होगा।"

"(6)' "कोष" की राशि का उपयोग सिर्फ झारखण्ड राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास में होगा जिसमें निम्न शामिल होंगे –

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को उनके पृष्ट प्रदेश से जोड़ने के लिए सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास तथा रख रखाव,

(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं व्यवसायिक इकाईयों को वित्त, सहाय्य राशि, अनुदान एवं सहायकी उपलब्ध कराना,

(ग) उद्योगों, विपणन एवं अन्य व्यवसायिक परिसरों को विद्युत ऊर्जा एवं जल की आपूर्ति हेतु संरचनाओं का निर्माण,

(घ) व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के सामान्य विकास हेतु अन्य संरचनाओं का निर्माण, विकास एवं रख रखाव।"

"(7) राज्य सरकार, इस हेतु निर्गत एक अधिसूचना के द्वारा उन तरीकों को विनिर्दिष्ट करेगी कि कैसे कर की राशि समुचित लेखा शीर्षों में जमा की जाएगी और किस तरीके से " कोष" की राशि सिर्फ झारखण्ड राज्य के व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास में उपयोग में लायी जाएगी।"

7. अधिनियम 05, 2006 की धारा 13 में संशोधन। –

उपधारा (1) में पद " धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत " की जगह पद " धारा 9 की उपधारा (3)" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. अधिनियम 05, 2006 की धारा 22 में संशोधन। –

धारा 22 की उपधारा (1) में पद " आवर्त्त पर समान दर " के बाद एवं पद " से संगणित होंगी " के पूर्व शब्द एवं विराम चिन्ह", जो 8 प्रतिशत से अधिक अथवा 1.5 प्रतिशत से कम न हों," अंतःस्थापित किया जाएगा।

9. अधिनियम 05, 2006 की धारा 29 में संशोधन। –

इस धारा की उपधारा (1) में पद "विहित प्राधिकारी को" के बाद एवं पद "विवरणी प्रस्तुत करेगा" के पूर्व पद "सही, पूर्ण एवं ठीक" अंतःस्थापित किया जाएगा।

10. अधिनियम 05, 2006 की धारा 30 में संशोधन। –

इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड ग के बाद, उपखण्ड (iii) के पश्चात एक नया उपखण्ड (iv) निम्नवत जोड़ा जाएगा :–

"(iv) उस अवधि के लिए जिसके लिए वह विवरणी, जिसमें मासिक संक्षिप्त सार भी शामिल है, प्रस्तुत नहीं कर पाया है।"

उपधारा (1) के उपखण्ड (iv) के बाद के अंतिम पैरा में पद " 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज" के बाद एवं पद" का भुगतान करने का दायी होगा" के पूर्व पद " एवं इस धारा की उपधारा (4) के खण्ड (घ) में यथाविनिर्दिष्ट शास्ति " अंतःस्थापित किया जाएगा।

उपधारा (4) में पद "'धारा 29 की " के बाद एवं पद "उपधारा (2) के अधीन" के पूर्व पद " उपधारा (1) एवं अंतर्विष्ट किया जाएगा।

उपधारा (4) के पद (ग) में पद " कर पाता है "के बाद का विराम चिन्ह एवं शब्द "अथवा" विलोपित किया जाएगा।

उपधारा (4) के विद्यमान खण्ड (घ) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

" तो विहित प्राधिकारी ऐसे व्यवसायी को विहित रीति से सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी माह अथवा किसी कर अवधि हेतु ऐसे व्यतिक्रम के लिए बीस रूपये प्रतिदिन से अनधिक दर से शास्ति, जो एक साथ में अधिकतम पाँच हजार रूपये तक होगी, अधिरोपित करेगा।"

"स्पष्टीकरण – इस प्रयोजनार्थ "विवरणी" से मासिक सार संक्षेप, किसी कर अवधि हेतु विवरणी के साथ साथ संशोधित विवरणी/विवरणियाँ एवं वार्षिक विवरणी भी अभिप्रेत हैं।"

11. अधिनियम 05, 2006 की धारा 40 में संशोधन। –

उपधारा (1) के उपरांत एक परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा –

" परन्तु, खण्ड 'क' के प्रयोजनार्थ, यदि विहित प्राधिकारी को ऐसा विश्वास करने के कारण हों कि व्यवसायी ने ऐसे व्यापारावर्त्त की विशिष्टियों को स्वेच्छा से छुपाया है, छोड़ दिया है या प्रकट नहीं किया है अथवा वैसे व्यापारावर्त्त की गलत विशिष्टियाँ दाखिल किया है एवं उसके द्वारा विवरणीत आँकड़े वास्तविक आँकड़ों से कम होते हों तो विहित प्राधिकारी वैसे व्यापारावर्त्त के बाबत देय कर की राशि का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा और इस अधिनियम के उपबंध, जहाँ तक लागू हों, तदनुसार लागू होंगे और इस प्रयोजनार्थ धारा 37 की उपधारा (6) भी तदनुसार लागू होगी।"

विद्यमान उपधारा (1) के उपरांत उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के रूप में दो नई उपधाराएँ निम्नवत अंतःस्थापित की जाएँगी :–

"(2) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण के पूर्व किसी कार्यवाही के क्रम में या किसी सूचना पर या अन्यथा विहित प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि किसी निबंधित व्यवसायी या व्यवसायी जिसका निबंधन प्रमाण पत्र धारा 25 की उपधारा (7) के अन्तर्गत निलंबित कर दिया गया है, के द्वारा –

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने द्वारा भुगतेय कर की राशि को घटाने का मंशा से किन्हीं बिक्रियों या खरीदों या उनकी किन्ही विशिष्टियों को छुपाया गया है, या

(ख) धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दाखिल किए गए विवरणियों में, अथवा अन्यथा, अपने व्यापारावर्त्त का गलत विवरणियाँ खरीद–बिक्रियों की गलत विशिष्टियाँ दाखिल किया गया है, तो विहित प्राधिकारी वैसे व्यवसायी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के उपरांत एक लिखित आदेश द्वारा उसे, धारा 35 या 36 या 38 के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अथवा निर्धारित किए जाने वाले भुगतेय कर की राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक माह के ऐसे छिपाव के लिए या गलत विशिष्टियाँ प्रदर्शित करने के लिए दबाए अथवा छिपाए गए व्यापारावर्त्त पर इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर या गलत विशिष्टियाँ प्रदर्शित करने के कारण देय कर की राशि का दो प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने का निर्देश देगा।

यह ब्याज कर निर्धारण के पूरा होने के पहले ही भुगतेय होगा एवं भुगतेय ब्याज की राशि के निर्धारण के लिए विहित प्राधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतेय कर की राशि को औपबंधिक रूप से परिमाणित किया जाएगा।"

"(3) इस धारा के अन्तर्गत अधिरोपित कोई भी शास्ति अथवा लगाया गया कोई भी ब्याज इस अधिनियम की धारा 84 के अन्तर्गत लिए गए या लिए जाने वाले किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

धारा 40 की विद्यमान उपधारा (2) को उपधारा (4) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा।

12. अधिनियम 05, 2006 की धारा 57 में संशोधन। –

धारा 57 की उपधारा (1) में शब्द "सरकार द्वारा अधिरोपित" के पूर्व निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :–

" धारा 54 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी तथा"

13. अधिनियम 05, 2006 की धारा 63 में संशोधन। –

उक्त धारा की उपधारा (1) एवं (2) में, शब्द 'छः माह' को 'नौ माह' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. अधिनियम 05, 2006 की धारा 69 में संशोधन। –

धारा 69 की उपधारा (1) के परन्तुक में, शब्द "धारा 62, 70" के पश्चात तथा पद "के अधीन प्रदत्त शक्तियों का इस धारा के कियान्वयन हेतु" के पूर्व विराम चिह्न एवं ", 71, 72 एवं 73" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

.....

यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 18 दिसम्बर, 2007 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(आलमगीर आलम)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 37--50--28-12-2007--शनि मुण्डा ।